

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/फाल्गुन 14, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 744
No. 40]	DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/PHALGUNA 14, 1940	[N.C.T.D. No. 744

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

2019 का विधेयक संख्या 02

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019

वर्ष 2019-2020 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

फा.सं. 21(44)/विनि.2/2019/वि.स.स.-VI/वि.—भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त शीर्षक.— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2019 है।

2. ₹60000,00,00,000 का वर्ष 2019-2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए साठ हजार करोड़ रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2019-2020 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

3. विनियोजन.—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व	569200	8500	577700
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	6124275	150925	6275200
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	13007800	3081500	16089300
		पूँजी	310000	0	310000
4	वित्त	राजस्व	3622952	1000	3623952
		पूँजी	972848	0	972848
5	गृह	राजस्व	7553200	6000	7559200
		पूँजी	435000	0	435000
6	शिक्षा	राजस्व	134916500	6000	134922500
		पूँजी	3877800	0	3877800
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	62693800	95900	62789700
		पूँजी	2762800	0	2762800
8	समाज कल्याण	राजस्व	65485500	400	65485900
		पूँजी	10660400	0	10660400
9	उद्योग	राजस्व	4522950	1350	4524300
		पूँजी	22200	0	22200
10	विकास	राजस्व	31054240	3060	31057300
		पूँजी	7166300	5000	7171300
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	81873500	1800	81875300
		पूँजी	92648600	0	92648600
12	ऋण	पूँजी	15000	0	15000
13	पेंशन	राजस्व	1250000	0	1250000
15	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	31782700	31782700
		पूँजी	0	33311000	33311000
	योग		531544865	68455135	600000000

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2019, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

सी. वेलमुरुगन, सचिव

दिल्ली

22 फरवरी, 2019

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February,, 2019

BILL No. 02/2019

THE DELHI APPROPRIATION (No.2) BILL, 2019

A BILL to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2019-2020.

F. No. 21(44)/Appren. 2/2019/LAS-VI/Leg.—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Delhi Appropriation (No.2) Act, 2019.

2. Issue of ₹ 60000,00,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2019-2020.— From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Sixty Thousand crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2019-2020 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(₹ in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
1	Legislative Assembly	Revenue	569200	8500	577700
2	General Administration	Revenue	6124275	150925	6275200
3	Administration of Justice	Revenue	13007800	3081500	16089300
		Capital	310000	0	310000
4	Finance	Revenue	3622952	1000	3623952
		Capital	972848	0	972848
5	Home	Revenue	7553200	6000	7559200
		Capital	435000	0	435000
6	Education	Revenue	134916500	6000	134922500
		Capital	3877800	0	3877800
7	Medical and Public Health	Revenue	62693800	95900	62789700
		Capital	2762800	0	2762800
8	Social Welfare	Revenue	65485500	400	65485900
		Capital	10660400	0	10660400
9	Industries	Revenue	4522950	1350	4524300
		Capital	22200	0	22200
10	Development	Revenue	31054240	3060	31057300
		Capital	7166300	5000	7171300
11	Urban Development and Public Works	Revenue	81873500	1800	81875300
		Capital	92648600	0	92648600
12	Loan	Capital	15000	0	15000
13	Pension	Revenue	1250000	0	1250000
15	Public Debt	Revenue	0	31782700	31782700
		Capital	0	33311000	33311000
	Total		531544865	68455135	600000000

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.2) Bill, 2019 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries..

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No2) Bill, 2019 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2019-2020.

C. VELMURUGAN, Secy.

Delhi

22 February, 2019